न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या 43/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जगीया पुत्र हरजीडा मेघवंशी		1. मांगीया पुत्र वसा
2. रमेश पुत्र सकीया मेघवंशी		2. दीपा पुत्र वसा
3. मगना पुत्र धुकीया मेघवंशी		3. महेन्द्र पुत्र सकीया
4. झमु पत्नी धुकीया मेघवंशी निवासीगण आवंलोज तहसील व जिला जालोर		4. अणदा पुत्र सकीया 5. जोगा पुत्र धुकीया 6. मोवनीया पुत्र चेनीया 7. पेपा पुत्र चेनीया 8. गीगा पुत्र देवीड़ा जातिगण मेघवंशी निवासीगण आवंलोज तहसील व जिला जालोर 9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री भंवरलाल सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.1.2019

———0———

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2003 मांगीया वगैरा बनाम जगीया वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई व्यादेश का प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए उक्त आराजी में अपना संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वाद में वर्णित तथ्यों का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

खण्डन किया एवं साथ ही प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया। इसके पश्चात पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत थी। इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत करते हुए समस्त पक्षकार उपस्थित हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को जैर अपील विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्रदान किए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त पक्षकार उपस्थित ही नहीं थे। समस्त पक्षकारान् के उपस्थित हुए बिना राजीनामा अंकित करते हुए किसी प्रकार का निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। जिन दस्तावेजात् का जैर अपील निर्णय में जिक्र किया गया है, वे साक्ष्य में प्रदर्शित ही नहीं हुए, इस कारण वे दस्तावेज पठनीय ही नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटीपूर्ण है, जो खारिज़ योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट एवं अन्य सह खातेदारान् के साथ साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता वसा का भी संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा था, किन्तु प्रथम भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता का नाम दर्ज करने से छूट गया। इन तथ्यों के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। मात्र राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज होने से शेष रहने के कारण रेस्पोडेन्ट के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें उनका जन्म से हक अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान् की उपस्थिति में मजमें आम में सुनवाई करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसका मुख्य आधार यह अंकित किया कि जैर अपील विवादित आराजी में उनके पिता वसा का अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के पूर्वज देवीडा व सवीया के साथ संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित था, जिसकी खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसमें वाद में वर्णित तथ्यों को नकारा एवं साथ ही प्रतिदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत रही। इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया, जिसकी सूचना संयुक्त रूप से जारी नोटिस के जरिये पक्षकारान् को प्रदान की गई। हालांकि विधि अनुसार प्रत्येक पक्षकार को पृथक पृथक नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है – " Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण–रूपेण चस्पा होता है। राजस्व लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण एवं मात्र तीन प्रतिवादीगण उपस्थित हुए, जिनकी उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुपस्थित प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" bldk foLr`r foospu bl izdkj fd;k gS fd ^^The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) [illegible] द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2013 [illegible] के पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों पर तनकीयात कायम कर उन पर साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कैम्प [illegible]